भारत सरकार

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 3253

उत्तर देने की तारीख 20.03.2025

अंतर्राष्ट्रीय सहयोग योजना

3253. डॉ. प्रशांत यादवराव पडोलेः
सुश्री एस. जोतिमणिः
डॉ. श्री धर्मवीर गांधीः

क्या **सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) सरकार द्वारा एमएसएमई की वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता को प्रोत्साहन देने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ख) अंतर्राष्ट्रीय सहयोग योजना के अंतर्गत क्या प्रगति हुई है;

(ग) विगत वर्ष के दौरान एमएसएमई को निर्यात संवर्धन योजनाओं के अंतर्गत कुल कितनी वित्तीय सहायता प्रदान की गई है;

(घ) सरकार द्वारा सकल घरेलू उत्पाद में एमएसएमई के योगदान को बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ङ) वैश्विक बाजारों तक पहुंच बनाने में एमएसएमई को किन-किन चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है; और

(च) सरकार किस प्रकार उनकी समस्या का समाधान करने की योजना बना रही है?

उत्तर

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम राज्य मंत्री

(सुश्री शोभा करांदलाजे)

(क): सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय (एमएसएमई) ने अपने फील्ड कार्यालयों नामतः एमएसएमई विकास और सुविधा कार्यालय, एमएसएमई प्रौद्योगिकी केंद्र और एमएसएमई परीक्षण केंद्रों में 65 निर्यात सुविधा केंद्र (ईएफसी) स्थापित करके निर्यात संवर्धन की दिशा में एक सहायता प्रणाली विकसित किया है। ये ईएफसी एमएसएमई को दस्तावेजीकरण, बाजार पहुंच, वित्तपोषण, प्रौद्योगिकी अपनाने और प्रशिक्षण में सहायता प्रदान करके एमएसएमई का पथ-प्रदर्शन करते हैं। एमएसएमई को वैश्विक स्तर पर अपना व्यवसाय बढ़ाने में मदद करनेवाली अन्य पहलों में वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय की व्यापार अवसंरचना हेतु निर्यात स्कीम (टीआईईएस) और बाजार पहुंच पहल (एमएआई) शामिल हैं, जो प्रदर्शनियों, क्रेता-विक्रेता बैठकों, मेलों आदि में भारतीय निर्यातकों की भागीदारी की सुविधा प्रदान करती हैं। निर्यात हब के रूप में जिले जैसी पहलें निर्यात क्षमता की पहचान करती हैं, बाधाओं का समाधान करती हैं तथा स्थानीय निर्यातकों/विनिर्माताओं को सहायता प्रदान करती है। ट्रेड-कनेक्ट ई-प्लेटफॉर्म अंतरराष्ट्रीय व्यापार पर एक सूचना और मध्यस्थता प्लेटफॉर्म है, जो नए और मौजूदा दोनों निर्यातकों के लिए विस्तृत सेवाएं प्रदान करता है।

(ख): एमएसएमई मंत्रालय की अंतरराष्ट्रीय सहयोग (आईसी) स्कीम के अंतर्गत, विदेशों में आयोजित अंतरराष्ट्रीय प्रदर्शनियों और मेलों में एमएसएमई की भागीदारी को सुविधाजनक बनाने के लिए तथा ज्ञान साझा करने, अच्छे पद्धतियों आदि के उद्देश्य से भारत में अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित करने के लिए पात्र केंद्रीय/राज्य सरकार के संगठनों और उद्योग संघों को प्रतिपूर्ति के आधार पर वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। आईसी स्कीम की प्रथम बार के निर्यातक के क्षमता वर्धन (सीबीएफटीई) घटक के अंतर्गत, नए सूक्ष्म और लघु उद्यम (एमएसई) निर्यातकों को ईपीसी के साथ पंजीकरण-सह-सदस्यता प्रमाणन (आरसीएमसी), निर्यात बीमा प्रीमियम और उत्पादों के लिए परीक्षण और गुणवत्ता प्रमाणन के लिए प्रतिपूर्ति के आधार पर सहायता प्रदान की जाती है।

(ग): वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान, एमएसएमई मंत्रालय की अंतरराष्ट्रीय सहयोग स्कीम के अंतर्गत 19.22 करोड़ रुपये की लागत से 545 एमएसएमई को सहायता प्रदान की गई थी।

(घ) सरकार ने एमएसएमई को सहायता प्रदान करने के लिए अनेक पहलें की हैं, जिनमें से कुछ निम्नानुसार हैं:

(i) एमएसएमई क्षेत्र के दायरे को व्यापक बनाने के लिए निवेश और कारोबार के आधार पर उच्च सीमा वाले एमएसएमई के वर्गीकरण के लिए नए मानदंड, दिनांक 26.06.2020 को अधिसूचित किए गए।

(ii) 200 करोड़ रुपये तक की खरीद के लिए कोई वैश्विक निविदा नहीं।

(iii) दिनांक 01.07.2020 को व्यवसाय करने में आसानी हेतु एमएसएमई के लिए "उद्यम पंजीकरण" की शुरुआत की गई।

(iv) दिनांक 02.07.2021 से ऋण उद्देश्य के लिए खुदरा और थोक व्यापारियों को एमएसएमई के रूप में शामिल करना।

(v) एमएसएमई की स्थिति में ऊर्ध्वमुखी परिवर्तन के मामले में गैर-कर लाभों को 3 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया।

(vi) प्राथमिकता क्षेत्र ऋण (पीएसएल) के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने के लिए अनौपचारिक सूक्ष्म उद्यमों (आईएमई) को औपचारिक दायरे में लाने हेतु उद्यम सहायता प्लेटफार्म (यूएपी) की शुरुआत।

(vii) वस्तुओं एवं सेवाओं के क्रेताओं से सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों को शिकायतें दर्ज करने तथा बकाया देयताओं की निगरानी करने के लिए समाधान पोर्टल की शुरुआत।

(viii) शिकायतों का निवारण और एमएसएमई की हैंडहोल्डिंग सहित ई-गवर्नेंस के कई पहलुओं को कवर करने के लिए जून, 2020 में एक ऑनलाइन पोर्टल "चैंपियन्स" का शुभारंभ।

(ड.)और(च): वैश्विक बाजार में एमएसई की पहुंच में सहायता प्रदान करने के लिए सरकार ने निम्नलिखित उपाय किए हैं:

(i) एमएसएमई मंत्रालय ने 65 निर्यात सुविधा केन्द्रों (ईएफसी) की स्थापना करके निर्यात संवर्धन के लिए एक समर्पित सहायता प्रणाली स्थापित की है। ये ईएफसी विभिन्न स्कीमों पर सूचना का प्रसार करके एमएसएमई की सहायता करते हैं तथा उनके सहायक निर्यातों को बढ़ाने, उन्हें प्रतिस्पर्धी दरों आदि पर ऋण प्राप्त करने के लिए एनबीएफसी, नए फिनटेक स्टार्ट-अप आदि जैसे वित्तीय संस्थानों के साथ जोड़ने में एमएसएमई की सहायता करते हैं।

(ii) तीन उप स्कीमों, एमएसएमई-सतत (जेड) प्रमाणन स्कीम, एमएसएमई-प्रतिस्पर्धी (लीन) स्कीम और एमएसएमई-इनोवेटिव स्कीम (इनक्यूबेशन, डिजाइन और आईपीआर) के साथ "एमएसएमई चैंपियन्स" स्कीम, एमएसएमई को विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनने में सक्षम बनाने के लिए विभिन्न स्कीमों और क्रियाकलापों के साथ एकीकृत करने, तालमेल बनाने और अभिसरण करने के लिए एक समग्र दृष्टिकोण है।

(iii) एमएसएमई कार्य-निष्पादन का उत्थान और गतिवर्धन (रैम्प) स्कीम का उद्देश्य केन्द्रीय और राज्य एजेंसियों के सुदृढ़ीकरण द्वारा प्रौद्योगिकी उन्नयन, बाजार और ऋण तक पहुंच बढ़ाकर सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को सहायता प्रदान करना है।

(iv) एमएसएमई को वैश्विक रूप से अपना व्यवसाय बढ़ाने में सहायता करने के लिए की गई अन्य पहलों में वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय की स्कीमें जैसे निर्यात हेतु व्यापार अवसंरचना स्कीम (टीआईईएस) और बाजार पहुंच पहल (एमएआई) शामिल हैं। एमएआई स्कीम के अंतर्गत निर्यात संवर्धन परिषदों, राज्य निकायों, कमोडिटी बोर्डों आदि को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है, ताकि एमएसएमई सहित भारतीय निर्यातकों को अपने उत्पादों को प्रदर्शित करने हेतु विदेशी प्रदर्शनियों/मेलों में भागीदारी करने तथा विदेशी क्रेताओं के साथ व्यावसायिक संपर्क स्थापित करने की सुविधा प्रदान की जा सके। ट्रेड-कनेक्ट ई-प्लेटफॉर्म अंतरराष्ट्रीय व्यापार पर एक सूचना और मध्यस्थता मंच है, जो नए और मौजूदा दोनों निर्यातकों के लिए व्यापक सेवाएं प्रदान करता है।

******